संख्या-43/2020/1289जेएल/22-3-2020-800(308)/2012

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
फतेहपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2020*

विषय- जिला कारागार फतेहपुर के सिद्धदोष बंदी बिन्दू सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह, निवासी-मौहार, थाना-कल्यानपुर, जनपद-फतेहपुर को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-720/जि0प्रो0का0/बंदी पैरोल/2020-21, दिनांक 11-07-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार फतेहपुर के सिद्धदोष बंदी बिन्दू सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह, निवासी-मौहार, थाना-कल्यानपुर, जनपद-फतेहपुर को शासनादेश संख्या-31/2020/735जेएल/22-3-2020-800(308)/2012, दिनांक 28-05-2020 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-43/2020/1289जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार फतेहपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in